प्रथम सूचना रिपोर्ट

1.जिला गुडगांव थाना एस.वी.बी वर्ष 2016 प्र.सू.रि.स 14 दिनांक 15.07.2016

2.अधिनियम पी.सी एक्ट 49/88 धाराएं 7 पी.सी एक्ट

अन्य अधिनियम एंव धाराएं –

(क) घटना का दिन शुक्रवार दिनांक से दिनांक 15.07.2016

(ख) थाने पर प्राप्त सूचना दिनांक 15.07.2016 समय 04.25 पी.एम

(ग) (रोजनामचा संदर्भ) (प्राविष्टि संख्या) 09 समय 04.30 पी.एम

4.(सूचना कैसे प्राप्त हुई) बजरिया स्पैशल मैसेंजर (लिखित/मौखिक) : लिखित

5. घटना स्थन का ब्यौरा (क) (थाने से दिशा एंव दूरी) पूर्व लगभग 45 कि0मी0

(ख) पताः–

(ग) (यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, तब उस) (उस थाने का नाम)– सैन्ट्रल फरीदाबाद

6. (शिकायतकर्ता/इतला देने वाला) :–

(क) नाम : मौ0 जमशेद (ख) (पिता/पति का नाम) श्री धन्नू खान

(ग) (जन्म तिथि) (घ) (राष्टीयता) भारतीय

(ड) पासपोर्ट सं0

(जारी करने की तिथि) (जारी करने का स्थान)

(च) (व्यवसाय) (पता) मकान न0 289, बडखल जिला फरीदाबाद।

7. (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण)

1. सि0 जफरूद्दीन, मुशी
   चौकी सैक्टर 75 फरीदाबाद।

इस समय एक तहरीर हिन्दी हस्ताक्षरी श्री जयवीर सिंह उप पुलिस अधीक्षक राज्य चौकसी ब्यूरो फरीदाबाद बादस्त SI रामानन्द बराये कायमी मुकदमा थाना हजा में प्राप्त हुई, जिसका विषय इस प्रकार से है, '' सेवा मे श्रीमान DSP विजिलैन्स फरीदाबाद निवेदन यह है कि मै मौ0 जमशेद S/o धन्नूखान निवासी बडखल H.No. 289

फरीदाबाद का रहने वाला हुँ। मेरे पास 3 डम्फर (हाईवा) है। जोकि नांगल से भरकर KRC Sec. 75 डस्ट रोडी लेकर आते है। जो आज मुंशी सिपाही जफरूद्दीन जो कि Sec. 75 (B.P.T.P.) चौकी मे तैनात है ने हमारी डम्फर गाडी न0 HR-38V 6479 है। जो जफरूद्दीन ने हमारी गाडी पकड ली। जिसको मेरा डाईवर नूरूद्दीन चला रहा था। नूरूद्दीन ने मेरा मोबाईल न0 जफरूद्दीन को दे दिया और जफरूद्दीन का मेरे पास फोन आया कि 10000 रुपये रिश्वत की मांग की। वह मेरे पास अपने फोन न0 9711690218 से फोन कर रहा है और रिश्वत की मांग कर रहा है। मै रिश्वत देना नही चाहता। मेरी जफरूद्दीन से कोई जाति रंजिश नही है। इस रिश्वत खौर के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावे। हस्ता0 मौ0 जमशेद 9711903386 दिनांक 15.07.2016'' कार्यवाही पुलिस– आज मन DSP मय स्टाफ के हाजिर कार्यालय SVB फरीदाबाद हुँ कि मुस्मी जमशेद उपरोक्त ने हाजिर कार्यालय आकर एक लिखित दरखास्त बाबत मांगने रिश्वत बर खिलाफ Ct. जफरूद्दीन मन DSP को पेश की, जो मजबून दरखास्त से सूरत जुर्म जेर धारा 7 पी0सी0 एक्ट का सरजद होना पाया जाने पर मन DSP ने एक रैडिंग पार्टी जिसमे निरीक्षक देवेन्द्र कुमार, निरीक्षक दिनेश कुमार, उप निरीक्षक सत्यप्रकाश, ई0ए0एस0आई0 रणबीर सिंह, सि0 सोनू सिंह को शामिल करके तहरीर हजा बराये कायमी मुकदमा बदस्त उप नि0 रामानन्द के अरसाल थाना है। बाद कायमी मुकदमा नम्बर पर्चा से सूचित करे व स्पैशल रिपोर्ट बजरिया स्पैशल मैसेन्जर इलाका मजिस्ट्रेट व अफसरान बाला को भिजवाई जावे। मन DSP मय मुदई मय रैडिंग पार्टी मय तफतीशी बैग मय लैपटाप बा सवारी गाडी सरकारी HR-55J 0333 के बराये अनुमति रैड व नियुक्त Duty मजिस्ट्रेट रवाना कार्यालय उपायुक्त महोदय फरीदाबाद का होता हुँ। अज– रा0चौ0ब्यूरो उपकेन्द्र फरीदाबाद हस्ता– अग्रेजी जयबीर सिंह उप पुलिस अधीक्षक राज्य चौकसी ब्यूरो फरी0 दिनांक 15.07.2016 समय 02:25PM अज थाना :– आमदा तहरीर पर मुकदमा हजा बाजुर्म मजकूर दर्ज रजिस्ट्रर किया गया । FIR की पांच प्रतियां बजरिया कार्बन एक ही समय में चाक की गई, जो सेवा में ईलाका मजिस्ट्रेट साहब फरीदाबाद व अफसरान बाला को नियमानुसार भेजी जाएगी। एक पर्त FIR बतौर स्पैशल रिपोर्ट सेवा मे ईलाका मजिस्ट्रेट साहब फरीदाबाद द्वारा आरिन्दा SI रामानन्द न0 1/41 भेजी जा रही है। असल मिशल पुलिस मय आमदा तहरीर भी मौका पर पहुचाने हेतु इसी आरिन्दा उप निरीक्षक के हवाले की गई।

POLICE STATION S.V.B. (H)

हस्ता अग्रेंजी/– रमेश कुमार
थाना प्रभारी का नाम
नाम : रमेश कुमार
पद : निरीक्षक
सख्यां : 22/B
दिनांक 15.07.2016 समय 06.00 पी.एम

Attested.

निरीक्षक
चौकसी ब्यूरो (ह०)
गुड़गांवा मण्डल गुड़गांवा